

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

099- पुष्कर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री सुरेश सिंह रावत

बाबा फार्म ग्राम मुहामी वाया गगवाना जिला अजमेर

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान:- अजमेर

दिनांक:- 03.12.2023

(निखिल कुमार)

रिटर्निंग ऑफिसर

विधानसभा क्षेत्र 099 पुष्कर

उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पुष्कर

रिटर्निंग ऑफिसर

उपखण्ड अधिकारी एवं

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुष्कर (अजमेर)

वि.स. क्षेत्र पुष्कर (99)

Form 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the
099- PUSHKAR Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that –

Shri Suresh Singh Rawat

Baba Farm Village Muhami Viya Gagwana District Ajmer

sponsored by **Bharatiya Janata Party** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place – AJMER

Dated– 03-12-2023


(Nikhil Kumar)

Returning Officer

099- Pushkar Assembly Constituency

(Sub Divisional Officer &

Sub Divisional Magistrate Pushkar)

Returning Officer

Sub Divisional Officer & Sub Divisional

Magistrate, Pushkar (Ajmer)

Legislative Assembly, Pushkar (099)